न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10/2021 (राजसमन्द आर्डर)

1. पृथ्वीराज पिता स्वर्गीय मोतीलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. खेमराज पिता स्वर्गीय मोतीलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. केसुलाल पिता स्वर्गीय मोतीलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. मु. केसर बेवा स्वर्गीय मोतीलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. देवकिशन मुतबन्ना सुरजमल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायण पिता चतरभुज जी जाट मृतक के बजाय :–

1/1. किशनलाल पिता नारायणलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. डाली पुत्री नारायणलाल जी पत्नी नोजीराम जी जाट, निवासी देवपुरिया (पेला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. प्यारीबाई बेवा नारायणलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

2. लेहरूलाल पिता रूपलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. जीतू पिता रूपलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. कन्नी पुत्री रूपलाल जी पत्नी चतरभुज जी जाट, निवासी बनेडिया का खेडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नानी पुत्री रूपलाल जी पत्नी रामा जी जाट, निवासी बनेडिया का खेडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. धापू पिता रूपलाल जी पत्नी रूपा जी जाट मृतक के बजाय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

6/1. मांगी पुत्री रूपलाल जी पत्नी मोहनलाल जी जाट, निवासी बोरज का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

6/2. चांदी पुत्री रूपलाल जी पत्नी गोपीलाल जी जाट, निवासी माला खेड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

6/3. किशनलाल पिता रूपलाल जी जाट, निवासी देवपुरिया, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

7. कैलाश पिता भैरूलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8. शांतिलाल पिता भैरूलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

9. वगतावरी बेवा भैरूलाल जी जाट, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 09.03.2021 प्र. सं. 23/2016

———/———

उपस्थित :— 1— श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री डूंगरसिंह कर्णावत अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/3

———::———

निर्णय **दिनांक 20—06—2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राज्यावास में आराजी नंबर 1911 एवं 3176/1911 कुल किता 2 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी रामा व लच्छीराम की थी, जिसका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 से 4 का 1/5 हिस्सा है, वादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा बनता है, जबकि उनके खाते में 1/8, 1/8 हिस्सा ही अंकित है। अतः विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 से 4 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

1/5 हिस्से एवं वादी संख्या 5 को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से वादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–03–2021 से नामकायमी का प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत करना मानते हुए वादीगण का वाद व प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह कर्णावत उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल की मृत्यु की जानकारी होते ही अन्दर अवधि आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जिसका जवाब मृतक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18–01–2021 को प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 22–03–2017 से दिनांक 22–02–2019 तक न्यायालय की कार्यवाही नहीं चली, केवल मात्र पेशियां बदली गयी। दिनांक 23–05–2019 को मृतक नारायणलाल की मृत्यु का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आदेशिका में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी प्रति अपीलान्ट को नहीं दिलायी गयी, न ही प्रतिवादी अधिवक्ता के आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं, जिससे अपीलान्ट को मृतक की जानकारी होना संभव नहीं था। पुनः दिनांक 23–05–2019 के बाद आगामी पेशी दिनांक 16–08–2019 को कोर्ट नहीं लगी एवं दिनांक 09–10–2020 को कोर्ट लगी एवं दिनांक 05–02–2021 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी एवं दिनांक 09–03–2021 को वादी का वाद एवं प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09—03—2021 निरस्त करते हुए मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में 2006 0 Supreme (Raj.) 1890, 2006 2 RLW (RJ) 1240 एवं 2024(1)CJ(Civ.)(Raj.) पेज 373 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल की नामकायमी का प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण उनका दावा अबेट हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय ने अबेटमेन्ट के आधार पर अपीलान्टगण का दावा व प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03—05—2019 अनुसार उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल के मृत्यु की सूचना बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति वादी वकील को दी जावे का कथन अंकित है, किन्तु उसकी प्रति वादी के वकील को दी गयी हो यह उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है तथा इसके बाद की लगातार 5 पेशियों पर पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 18—01—2021 को प्रतिवादी द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुए दावा अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया गया, जिस पर 05—02—2024 को उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 09—03—2021 को वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 5 काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानते हुए अबेटमेन्ट के आधार पर वादी का वाद एवं प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को उदार दृष्टिकोट अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर करना चाहिए, जैसाकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है। हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट/वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

के निधन की सूचना पूर्व में हो चुकी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र मृतक के वारिसान का प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दावा अबेट मानते खारिज किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 09–03–2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक नारायण के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested